बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2 / एल०–134 / 2026– / स्वा०, पटना, दिनांक–

डा0 अंकिता गुप्ता, सामान्य चिकित्सा पदाधिकरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मानपुर, गयाजी के दिनाक–26 03 2026 से 12 07 2026 तक कुल–109 (एक सौ नौ) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक–9889, दिनांक–01 12 2015 एव वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापाक–1671(25), दिनाक–13 08 2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक मे शिशु देखभाल अवकाश के रूप मे स्वीकृति प्रदान किया जाता है। इस अवकाश के पश्चात् डा0 गुप्ता के पक्ष मे कुल–621(छह सौ इक्किस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2 / एल०–134 / 2026–2450(2) पटना, दिनांक 7-10 / 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गयाजी /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मानपुर, गयाजी /कोषागार पदाधिकारी, गयाजी / डा0 अंकिता गुप्ता, सामान्य चिकित्सा पदाधिकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मानपुर, गयाजी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।